सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा :.सं . NCST/DEV-1824/BR/1/2023-ESDW-RU-IV   दिनांक : 28.03.2025

सेवा मे,

1 **जिलाधिकारी**
जिला - गोपालगंज,
समाहरणालय, भवन
गोपालगंज, बिहार 841428
Tel. No: 06156226001
Email Id: dm-gopalganj@nic.in

2 **पुलिस अधीक्षक,**
जिला - गोपालगंज,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
समाहरणालय परिसर,
गोपालगंज, बिहार 841428
Email - SP-gopalganj-bih@nic.in

विषय: भूमि पर गैर जनजाति द्वारा अतिक्रमण करने के संबंध में श्री जय प्रकाश प्रसाद गूलरबगा उर्फ -ग्राम - कुसुम बथुआ,पोस्टसोनगढ़वा -, प्रखंड थानाफुलवरिया -, जिला - गोपालगंज, बिहार का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट की गई कार्रवाई / की रिपोर्ट 07 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री जय प्रकाश प्रसाद
ग्रामगूलरबगा उर्फ कुसुम बथुआ ,
पोस्ट सोनगढ़वा , प्रखंड थाना फुलवरिया ,
जिला गोपालगंज , बिहार
मोबाइल नंबर :9939058794

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. **NCST/DEV-1824/BR/1/2023-ESDW**

श्री जय प्रकाश प्रसाद, निवासी ग्राम गुलरबागा उर्फ कुसुम बथुआ, थाना फुलवरिया, जिला गोपालगंज, बिहार के अभ्यावेदन के मामले में दिनांक 26.03.2025 को आयोग मुख्यालय में 03:00 बजे आयोग की माननीय सदस्या (डॉ आशा लकड़ा) के समक्ष हुई सिटिंग का कार्यवृत।

सिटिंग की दिनांक	: 26.03.2025 को सांय 03:00 बजे
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	: अनुलग्नक-I के अनुसार।

शिकायतकर्ता जय प्रकाश प्रसाद, निवासी ग्राम गुलरबागा उर्फ कुसुम बथुआ, थाना फुलवरिया, जिला गोपालगंज, बिहार की शिकायत में उनके द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि दिनांक 25.02.2023 को अंचल अधिकारी, फुलवरिया को आवेदन दिया गया कि उनकी एवं उनके परिवार की अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत स्वामित्व वाली भूमि (खाता संख्या 52, प्लॉट संख्या 250 एवं 252) पर सुनिता देवी, पत्नी पंचालाल गुप्ता द्वारा अवैध रूप से भवन निर्माण किया जा रहा है। सरकारी अमीन द्वारा मापी में पुष्टि हुई कि लगभग तीन कट्ठा अढ़ाई धूर भूमि अवैध रूप से कब्जा की गई है, परंतु प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, जब अवैध निर्माण रोकने की बात की जाती है तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। शिकायतकर्ता ने अपने जान-माल की सुरक्षा एवं अवैध कब्जे से अपनी भूमि मुक्त कराने हेतु उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

2. मामले में आयोग के नोटिस दिनांक 22.06.2023 के द्वारा जिलाधिकारी, जिला गोपालगंज, बिहार से तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु मांगी गई ।

3. मामले में जिलाधिकारी, जिला गोपालगंज के माध्यम से भेजे गए उत्तर दिनांक 04.09.2023 में उनके द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि प्रश्नगत भूमि की मापीकार्य दो अंचल अमीनों के द्वारा संयुक्त रूप से अंचल अधिकारी की देखरेख में कराई गई। मापी उपरांत अमीनों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, सभी संबंधितों की भूमि का रकबा सही पाया गया तथा श्री जय प्रकाश प्रसाद पिता स्व० राम स्वरुप गोंड़ की भूमि श्रीमती सुनीता देवी पति पंचालाल की बाउंड्री में नहीं पाई गई। सुलभ दृष्टांत हेतु अंचलाधिकारी फुलवरिया

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

P.T.O

का प्रतिवेदन, मापी प्रतिवेदन एवं ट्रेस नक्शा की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा सहित भेजा गया है। उक्त जवाब आयोग द्वारा प्रार्थी को भेजे गए थे जिनको ख़ारिज करते हुए प्रार्थी ने आयोग में पुन प्रत्युत्तर भेजे व् सुनवाई आयोजित करवाने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात आयोग द्वारा जिलाधिकारी, जिला गोपालगंज को दिनांक 26.03.2025 at 03:00 PM बजे आयोग में सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गए।

4. सुनवाई में जिलाधिकारी, जिला गोपालगंज की तरफ से कोई भी उपस्थित नही हुए व् प्रार्थी सुनवाई में उपस्थित रहे जिनका पक्ष आयोग द्वारा सुना गया।

5. मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

A. सुनवाई में जिलाधिकारी, जिला गोपालगंज की तरफ से आयोग में उपस्थित नही होने के सम्बन्ध में न तो कोई सूचना दी गई थी न ही कोई उपस्थित रहा जिसे आयोग ने अत्यंत गंभीरता से लिया है तत्पश्चात पीड़ित पक्ष को सुना गया।

B. पीड़ित पक्ष को सुनने के बाद यह पाय गया की वहां पर किसी भी तरह की मापी नही की गयी व् न ही पीड़ित पक्ष को सुना गया तथा अभी भी वहां पर आदिवासी भूमि पर यथावत रूप से निर्माण कार्य जारी है, अत वह निर्माण कार्य जांच के दौरान रोका जाए एंव इस हेतु एक जांच दल आयोग से जल्द से जल्द मौका मुआयना व् स्थलीय निरीक्षण हेतु जायेगा व् अपनी रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेगा।

C. पुलिस अधीक्षक, जिला गोपालगंज को इस कार्यवृत की एक प्रति प्रेषित की जाए ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

D. जिलाधिकारी, जिला गोपालगंज आयोग की सुनवाई में अनुपस्थित रहने का विधि सम्मत कारण स्पष्ट करेंगे व् मामले की गंभीरता को समझते हुए मामले में त्वरित कार्यवाही करेंगे तथा 07 दिवस में कृत कार्यवाही आयोग को प्रेषित करेंगे।

आशा लकड़ा 27/03/2025

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-1824/BR/1/2023-ESDW-RU-IV

Sitting to be held on **26.03.2025 at 03:00 P.M** - भूमि पर गैर जनजाति द्वारा अतिक्रमण करने के संबंध में श्री जय प्रकाश प्रसाद - ग्राम- गूलरबगा उर्फ कुसुम बथुआ, पोस्ट- सोनगढ़वा, प्रखंड थाना- फुलवरिया, जिला- गोपालगंज, बिहार का अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.			
3	H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
6.			
7.			
8.			
II	**Officers from O/o District Magistrate, District - Gopalganj**		
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
III	**Petitioners**		
1.	जय प्रकाश प्रसाद	9939058794	जयप्रकाशप्रसाद
2.			